सत्र प्रकरण क्र.138/2020 (छ.ग.शासन विरूद्ध मो० फजल खान)

Witness No.....4.....for.....अभियोजन.....Deposition taken on the.22 day of अगस्त 2025.....दिन शुक्रवार Witness's apparent age.40 वर्ष.....

States on affirmation....शपथपूर्वक.....My name is..**विशेष खंडेलवाल .....**
S /o. श्री राजेन्द्र खंडलेवाल . .....Occupation...व्यापार

Address .सेलिनो पैराडाईस,दलदल सिवनी थाना-मोवा , रायपुर, जिला-रायपुर छ०ग० ..

समय 12.35 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री पारेश्वर बाघ वास्ते अभियोजन

1. घटना दिनांक 16.04.2020 की है । मैं अपने घर से बाहर था तब लगभग 11.00-12.00 बजे के बीच दोपहर में मेरी पत्नी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई अंकित खंडेलवाल पर मो० फजल खान ने चाकू से हमला कर दिया है और उसको राकेश पांडेय एवं नीरज पांडेय जो कि वहीं सोसाईटी में निवासरत है अपने साथ लेकर बॉलाजी अस्पताल ले गये है । जब मैँ हॉस्पीटल पहुंचा तो अपने भाई को लहुलुहान देखा उसपे तीन जगह चाकू से वार किया गया था और डॉक्टर अपना ईलाज कर रहे थे ।

2. पुलिस वालों ने मेरे भाई अंकित के पहने हुए टी शर्ट , लोवर तथा एक अंडरवियर कपडे मेरे समक्ष जप्त किये थे, जप्ती पत्रकप्र०पी० 2 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री बृजेश पांडेय वास्ते अभियुक्त

3. यह कहना सही है कि घटना के समय मैं घर में उपस्थित नहीं था, इस कारण घटना कैसे हुई मैँ नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि घटना स्थल

पर मेरी पत्नी अंकिता खंडेलवाल भी उपस्थित नहीं थी । स्वतः कहा कि मेरी पत्नी को गार्ड के द्वारा आवाज देकर बताने पर मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके घटना की जानकारी दी । यह कहना गलत है कि मुझे मेरी पत्नी ने घटना बताने के संबंध में कोई फोन नहीं की थी ।

4. राकेश पांडेय एवं नीरज पांडेय हमारी सोसाईटी में रहते है इसलिए हमारा उनसे सामान्य संबंध है । पुलिस ने घटना के संबंध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी । पुलिस ने मेरा कोई बयान मुझसे पूछकर दर्ज नहीं किया था । स्वतः कहा कि पुलिस वालों ने मेरे समक्ष कपडे जप्त किये थे । पुलिस वाले मेरे समक्ष दिनांक 16.04.2020 को मेरे भाई के कपडे की जप्ती किये थे । आज मुझे कपडे जप्ती करने का समय याद नहीं है ।

5. यह कहना सही है कि जैसा कपडा पुलिस वालों ने जप्त् किया था वैसा कपडा बाजार में मिलता है । यह कहना भी सही है कि जैसा कपडा पुलिस ने जप्त किया था वैसा कपडा अन्य लोगों के पास भी हो सकता है । पुलिस वालों ने कपडो की जप्ती अस्पताल में की थी । यह कहना सही है कि जिस वक्त मैनें जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर किया था उस समय अस्पताल के चिकित्सक एवं कर्मचारी तथा मेरे एवं पुलिस के अलावा कोई उपस्थित नहीं था । अब साक्षी का कहना है कि अस्पताल में सोसाईटी के अन्य व्यक्ति जो मेरे भाई को लेकर गये थे, वे उपस्थित थे । यह कहना सही है कि जिन लोग उपस्थित थे उनका हस्ताक्षर मेरे समक्ष जप्ती पत्रक में नहीं लिया गया था । स्वतः कहा कि मेरे भाई मयंक खंडेलवाल का हस्ताक्षर लिये थे ।

6. यह कहना सही है कि आरोपी मेरे ही काम्पलेक्स में रहता था । यह कहना सही है कि घटना के समय सोसाईटी का देखरेख मेरे भाई अंकित के द्वारा किया जाता था । स्वतः कहा कि मेरे भाई अंकित बिल्डर्स था और उसी के द्वारा काम्पलेक्स का निर्माण कराया गया था । यह कहना गलत है कि उक्त काम्पलेक्स में आरोपी एक मात्र मुस्लिम धर्म का है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी एवं उसके पिता से मेरे छोटे भाई अंकित ने कहा था कि आप लोग उक्त फ्लैट को खाली कर दीजिए और मुझे विक्रय

कर दीजिए । मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उक्त फ्लैट को मेरे भाई ने 25,00,000/– रूपये में पंजीयन कराने के लिए आरोपी एवं उसके पिता से कहते थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने 25,00,000/– रूपये में उक्त फ्लैट को विक्रय करने से मना कर दिया था । यह कहना गलत है कि तब मेरा भाई आरोपी एवं उसके परिवार से नाराज था । यह कहना भी गलत है कि मेरे भाई ने आरोपी को धमकी दी थी कि उसे मारपीट कर फ्लैट से बाहर निकालेगा और झूठे मामले में फंसायेगा ।

7. यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को मेरे भाई अंकित अपने साले एवं तीन चार लोगों के साथ सोसाईटी में पहुंचे थे । साक्षी से पूछा गया कि आप घटना के समय सोसाईटी में नहीं थे और इसलिए आप नहीं बता सकते कि अंकित अपने साले और तीन चार लोगों के साथ सोसाईटी पहुंचा था जिस पर साक्षी का कहना है कि मैँ घटना के समय सोसाईटी में नहीं था इस कारण नहीं बता सकता किंतु मेरी जानकारी में मेरा भाई अंकित सोसाईटी में अकेले पहुंचा था ।

8. यह कहना सही है कि घटना के समय मेरा भाई अंकित सोसाईटी में निवास नहीं करता था । यह कहना सही है कि मेरा भाई अंकित आम्रपाली सोसाईटी में निवास करता है और वहां से घटना स्थल पर पहुंचा था । यह कहना सही है कि सोसाईटी मेरे भाई की है इसलिए मेरे भाई का आना–जाना वहां लगा रहता था ।

9. यह कहना सही है कि घटना के समय कोविड होने की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था । मुझे इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन के समय यदि किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर काम पर जाने एवं आने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती थी ।

10. यह कहना गलत है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी । यह कहना सही है कि मेरे भाई को चोंट लगा था इसलिए मुझे भी

दुख एवं तकलीफ था । यह कहना गलत है कि मैँ आरोपी को झूठा फंसाने के लिए आज न्यायालय में गलत बात बता रहा हूं ।

समय – 1.00 बजे

गवाह का हस्ताक्षर.....

गवाह को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(**डमरूधर चौहान**)
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

(**डमरूधर चौहान**)
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)